

अनुदान संख्या 93 – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 93 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1171,76,00		
			1171,78,00	1009,45,41
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-162,32,59
				162,05,10
पूंजीगत	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
			1,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-1,00
				1,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मू.	O.	98859.00		
पू.	S.	2.00	90849.13	90835.86
पु.	R.	-8011.87		-13.27

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत -
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	7098.00			
		
पु.	R.	-7098.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	8316.00	7681.49	7681.47	-0.02
पु.	R.	-634.51			

(I) ₹7101.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6998.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "समाज कल्याण - दिव्यांगजन का कल्याण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया:-

(I) Provision of ₹7101.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹6998.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads: -

(का) "सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" - ₹1800.00 लाख;

(A) "Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances"- ₹1800.00 lakhs;

(खा) "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्कीमें" - ₹2448.00 लाख;

(B) "Schemes for Implementation for Persons with Disabilities Act"- ₹2448.00 lakhs;

(गा) "दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम" - ₹1300.00 लाख;

(C) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme"- ₹1300.00 lakhs;

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन संबंधी स्कीम" - ₹650.00 लाख; और

(D) "Scheme for Funding to National Institutes"- ₹650.00 lakhs; and

(ड) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" - ₹800.00 लाख।

(E) "Scholarship for Students with Disabilities"- ₹800.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "दिव्यांगजन का कल्याण – अन्य स्कीमें" – ₹5490.07 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹42750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एएलआईएमओ राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण" – ₹3397.81 लाख की बचत (₹9384.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप-योजना" – सामान्य कल्याण – दिव्यांगजन का कल्याण" – ₹1139.40 लाख की बचत (₹4670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/एएलआईएमसीओ/कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम" – ₹517.64 लाख की बचत (₹1260.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2235" – "Social Welfare"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Welfare of Handicapped - Other Schemes"- saving of ₹5490.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹42750.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) was due to non-receipt of adequate proposals from ALIMCO/State Government/ implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare – Welfare of Handicapped"- saving of ₹3397.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9384.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Social Welfare - Welfare of Handicapped"- saving of ₹1139.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4670.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from National Institutes/ALIMCO/implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for differently abled Persons" - saving of ₹517.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1260.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹471.92 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि करने के लिए आंशिक रूप से (₹1787.67 लाख) प्रयुक्त हो गईं; जैसा कि मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – दिव्यांगजन का कल्याण – नेत्रहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार एवं सुधार" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित किया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1787.30 लाख था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹335.73 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(IV) Under one head saving of ₹471.92 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1787.67 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "2235"- "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopaedically Handicapped". Actual excess, however, was ₹1787.30 lakhs.

(II) Under one head excess of ₹335.73 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.